न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

<u>अपील संख्याः 60 / 24</u> निर्णय दिनांकः– 24-03-2025

(जीसीएमएस संख 2024 / 451)

1. रामेश्वर लाल पुत्र हीराराम जाति ब्राहम्ण निवासी मेघासर तहसील व जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. मु. रामकंवरी पुत्री हीराराम जी पत्नी दीपचंद जी जाति ब्राहम्ण निवासी हाल लुधियाना पंजाब।
2. बंशी पुत्र स्व. सुखाराम पौत्र स्व सुगना जाति ब्राहम्ण निवासी मेघासर तहसील व जिला बीकानेर।
3. गोपाल पुत्र स्व. सुखाराम पौत्र स्व सुगना जाति ब्राहम्ण निवासी मेघासर तहसील व जिला बीकानेर।
4. मु. भगवती पुत्री स्व. सुखाराम पौत्र स्व सुगना जाति ब्राहम्ण निवासी मेघासर तहसील व जिला बीकानेर।
5. मु. सुमन पुत्री स्व. सुखाराम पौत्र स्व सुगना जाति ब्राहम्ण निवासी मेघासर तहसील व जिला बीकानेर।
6. मु. किरण पुत्री स्व. सुखाराम पौत्र स्व सुगना जाति ब्राहम्ण निवासी मेघासर तहसील व जिला बीकानेर।
7. मु. रामप्यारी बेवा हरजीराम जाति ब्राहम्ण निवासी पेमासर तहसील व जिला बीकानेर।
8. लुणाराम पुत्र स्व. हडमान जाति ब्राहम्ण निवासी पेमासर तहसील व जिला बीकानेर।
9. अखाराम पुत्र स्व. हडमान जाति ब्राहम्ण निवासी पेमासर तहसील व जिला बीकानेर।
10. मु. मोहनी बेवा हडमान जाति ब्राहम्ण निवासी पेमासर तहसील व जिला बीकानेर।
11. नत्थूराम पुत्र रूघनाथ जाति ब्राहम्ण निवासी पेमासर तहसील व जिला बीकानेर।

12/1. अगरूराम पुत्र गोविन्दराम जाति ब्राहम्ण निवासी पेमासर तहसील व जिला बीकानेर।

13/1. हरीराम पुत्र नत्थूराम जाति ब्राहम्ण निवासी पेमासर तहसील व जिला बीकानेर।

14. स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर, बीकानेर
दिनांक 19–07–2024

उपस्थितः–

1. श्री सत्यनारायण तिवाडी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सत्यपाल सिंह शेखावत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 7
3. श्री प्रहलाद जाखड, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 12/1
4. श्री सत्यपाल सहू, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 8 ता 11, 13/1
5. श्री मिलापचंद धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील सहायक कलेक्टर, बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 19–07–2024 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा अपीलांट का वाद खारिज करते हुए रेस्पोडेन्ट्स का काऊण्टर क्लेम विधि विरूद्व तरीके से स्वीकार किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा एक वाद अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम पेमाराम के खेत खसरा नम्बर 15 तादादी 11 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 87 तादादी 120 बीघा 09 बिस्वा कुल 132 बीघा 11 बिस्वा भूमि के संबंध में वादपत्र इस आधार पर पेश किया गया था कि आराजी जैर मिसल बंदोबस्त संवत् 2005 में हीरा, सुगना हरजी पिसरान महता का 1/2 हिस्सा, रूधनाथ वल्द मघा का 1/4 हिस्सा व लिछमा बेवा गणेशा का 1/4 हक व हिस्सा निहित रहा है। हीरा के वारिसान अपीलांट् व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 है, सुगना के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 है व हरजीराम के वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 7 है। रूधनाथ के वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 8 ता 10 के पूर्वज हड़मान व रेस्पोडेन्ट ख्या 11,

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

12 है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 13 के दौराने वाद फौत होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 13/1 व 13/2 संयोजित किया गया है। प्रकरण में अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत करते हुए आराजी जैर पर कब्जे काश्त व हक व हिस्से के अनुरूप खातेदारी अधिकारों की मांग किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत जाकर व कायम की गई तनकीयात् का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन एवं विश्लेषण नहीं करते हुए अपीलांट् के वादपत्र को खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की गई है। प्रकरण में अन्य उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि विचारण न्यायालय के समक्ष दौराने वाद कार्यवाही रेस्पोडेन्ट संख्या 8 ता 11, 12/1 व 13/1 के काऊण्टर क्लेम को स्वीकार करते हुए आराजी जैर का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा कथन किया गया कि आराजी जैर के बाबत् विचारण न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किये जाने पर नियमानुसार तनकीयात् की गई। जिसमें तनकी संख्या 1 कायम की गई, जिसके आधार पर आराजी जैर के पैतृक सम्पति होने व वादी के घोषणा के अधिकारों का निर्धारण किया जाना था। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी/अपीलांट् द्वारा उक्त तनकी को साबित करने के बाबत् मिसल बन्दोबस्त 205 ग्राम पेमासर, जमाबन्दी संवत् 2013, जमाबन्दी संवत 2021 व जमाबन्दी संवत् 2025—28 प्रस्तुत की गई थी। जिसके आधार पर यह स्पष्ट था कि वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम चली आ रही भूमि थी। आराजी जैर के बाबत् नामान्तरणकरण जोकि दिनांक 07—02—1983 को प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 के हक में स्वीकृत करते हुए वादी/अपीलांट् एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का नाम दर्ज नहीं करना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने के बावजूद भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तनकीयात् को अपीलांट्/वादी के विरूद्व तय करने में विधिक एवं तथ्य संबंधी त्रुटि कारित की गई है। जबकि प्रकरण में यह तथ्य दस्तावेजी साक्ष्यों के माध्यम से यह निर्विवाद रहा है कि आराजी जैर वादी/प्रतिवादीगण के पूर्वजों के कब्जे काश्त/धारण की भूमि रही है तथा जिसके खातेदारी अधिकारों के अपीलांट/वादी बतौर पैतृक सम्पति मुश्तहक रहने के बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्/वादी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

को कब्जे के अभाव मे खातेदारी अधिकारों का अनुतोष प्रदान नहीं किया गया है।

उन्होनें आगे कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र पर कायम की गई अन्य तनकीयात् का भी विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन एवं विश्लेषण नहीं करते हुए मात्र तनकी संख्या 1 के आधार पर अन्य तनकीयात् का निर्धारण किया गया है। जबकि विचारण न्यायालय से यह अपेक्षित था कि उनके द्वारा कायम की गई समस्त तनकीयात् का दस्तावेजी/मौखिक साक्ष्यों के अनुसरण में विधि सम्मत् तरीके से निस्तारण किया जाता, परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट् के वादपत्र को खारिज करने एवं प्रतिवादी संख्या 8 ता 11, 12/1 व 13/1 के काऊण्टर क्लेम को स्वीकार करने के उद्वेश्य मात्र से तमाम कार्यवाही किया जाना परिलक्षित होता है। जो स्वीकार योग्य नहीं है। प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्/वादी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त स्वीकार नहीं करते हुए प्रतिवादीगण को प्रतिकुल कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा की गई है। इस संबंध में उल्लेखनीय यह है कि वादग्रस्त भूमि एक पैतृक सम्पति रही है ऐसी स्थिति में पैतृक सम्पति पर सभी सह खातेदारों का कब्जा काश्त माना जाता है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय की वादग्रस्त भूमि पर कब्जे काश्त के संबंध में की गई व्याख्या विधि विरूद्व होने से काबिले खारिज है। इसी अनुरूप विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा काऊण्टर क्लेम प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि पर प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की मांग किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर की वृहद पीठ के द्वारा पारित निर्णय जिसके माध्यम से प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने को विधि विरूद्व माना गया है, की मंशा के विपरीत जाकर प्रतिवादीगण के काऊण्टर क्लेम को स्वीकार किया जाना स्पष्ट रूप से उच्चतर न्यायालयों के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में होने से अवमानना कारित किया जाना जाहिर है। प्रकरण में चूंकि विचारण न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व तरीके से अपीलांट्/वादी के वादपत्र को दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत जाकर खारिज करते हुए प्रतिवादीगण के काऊण्टर क्लेम को स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्/वादी की अपील स्वीकार की जाकर वादग्रस्त भूमि के

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

बाबत् अपीलांट्/वादी के वादपत्र को स्वीकार किया जाकर खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने के आदेश प्रदान किये जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरबीजे 2006 पेज 671, आरआरडी 1987 पेज 106, आरआरडी 1987 पेज 97, आरआरटी 2008 पार्ट I पेज 154, आरबीजे 2019 पेज 134, आरएलडब्ल्यू 2007 पेज 988, आरआरटी 2008 पार्ट I पेज 154, आरएलडब्ल्यू 2004 पेज 498 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 19–07–2024 के विरूद्व न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट्/वादी द्वारा वादपत्र पेश करते हुए आराजी जैर के खातेदारी अधिकारों की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार तनकीयात् कायम करते हुए व कायम की गई तनकीयात् का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त यह पाये जाने पर कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्/वादी काबिज काश्त नहीं है तथा बिना कब्जे काश्त के वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जाने के विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत् रखते हुए अपीलांट्/वादी के वादपत्र को विधि सम्मत् तरीके से खारिज किया गया है। प्रकरण में उल्लेखनीय यह है कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् वादपत्र वर्ष 2006 में प्रस्तुत करते हुए कथन करते हुए अपना कब्जा काश्त वर्ष 1946 से बताया गया है। जबकि सवंत् 2015 से वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का निरन्तर कब्जा काश्त रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर बिना कब्जे काश्त व लगान अदायगी के वादी अधिकारों की घोषणा के अधिकारी नहीं होने के आधार पर ही विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्/वादी के वादपत्र को विधि सम्मत् तरीके से खारिज किया गया है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

प्रकरण में जहॉ तक प्रतिवादीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष काऊण्टर क्लेम प्रस्तुत करते हुए आराजी जैर के खातेदारी अधिकारों की मांग किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का पूर्वजों के समय से ही निरन्तर व

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकारों की सुरक्षा के तथ्य को ध्यान में रखते हुए ही रेस्पोडेन्ट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवाद प्रस्तुत करते हुए प्रतिकुल कब्जे की अवधारणा को ढाल के रूप में उपयोग किया गया था, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट्स का काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने की दिनांक से पूर्व से ही कब्जा काश्त रहा है। इस संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 5 कायम की गई कि आया वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 11 का मुखालफाना होने के आधार पर खातेदार काश्तकार हो गये है? उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। उक्त तनकीयात् के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा यह पाये जाने पर कि आराजी जैर पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में हाने से पूर्व रहा है तथा लगान भी प्रतिवादीगण के पूर्वजों द्वारा अदा किया जाता रहा है, के आधार पर रेस्पोडेन्ट्स आराजी जैर के खातेदारी अधिकारों के मुश्तहक होने के आधार पर ही विचारण न्यायालय द्वारा विधि सम्मत् तरीके से प्रतिवादीगण के प्रतिवाद को स्वीकार करते हुए आराजी जैर का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के तमाम राजस्व रिकार्ड के आधार पर आराजी जैर पर प्रतिवादीगण के पूर्वजों का कब्जा काश्त रहा है तथा जमाबन्दी संवत् 2030 से निरन्तर संवत् 2070 तक आराजी जैर के बाबत् प्रतिवादीगण का नाम बतौर बन्दोबस्ती काश्तार के रूप में दर्ज रिकार्ड रहा है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में जहॉ तक वादग्रस्त भूमि के बाबत् प्रतिकुल कब्जे काश्त का प्रश्न है, उक्त अवधारण के साथ–साथ प्रतिवादीगण आराजी जैर पर बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी रहे है। लिहाजा विचारण न्यायालय के आक्षेतिप आदेश में किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं होने से अपीलांट्/वादी की अपील अस्वीकार कर खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1989 पेज 527, आरआरडी 1986 पेज 6, आरआरडी 2008 पेज 74, आरआरटी 2003 पार्ट II पेज 1090, आरआरटी 2012 पेज 325, आरआरडी 552 पेज 2018, आरआरडी 2017 पेज 693, सीसीसी 2013

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पेज 638 एससी, आरआरटी 2007 पेज 197, आरआरडी 1985 पेज 638, आरआरडी 1972 पेज 202 व आरआरटी 2007 पेज 723 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 व 188 व सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत दावा पेश किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्/वादी के वादपत्र को अस्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण के प्रतिवाद (काऊण्टर क्लेम) प्रतिकुल कब्जे के आधार पर स्वीकार करते हुए आराजी जैर का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने व्यथित होकर उक्त प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय व डिक्री जारी करने से पूर्व निम्नानुसार 7 तनकीयात कायम की गई।

तनकी संख्या 1:– आया वाद पत्र के पैरा संख्या 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की हिन्दु उत्तराधिकार की संयुक्त अविभाजित पैतृक जायदाद है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा है। जिसकी घोषणा करवाने के अधिकारी वादी क्यों है?

तनकी संख्या 2:– आया प्रतिवादी संख्या 8 ता 11, 12/1 तथा 13/1 के एवं उनके पिता के नाम चढा इन्तकाल गैर कानूनी एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की हद तक बेअसर एवं प्रभाव शून्य है?

तनकी संख्या 3:– आया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपने हिस्से 1/6 हिस्सा का तकासमा करवाने का अधिकारी वादी है?

तनकी संख्या 4:– आया वादी प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 के खिलाफ डिक्री चिरनिषेधाज्ञा पाने का अधिकरी है?

तनकी संख्या 5:– आया वादगत भूमि पर कब्जा काश्त प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 11 मुखालफाना होने के आधार पर खातेदार काश्तकार हो गये है?

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

तनकी संख्या 6:– आया डिक्री चिरनिषेधाज्ञा वादीगण के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 8 ता 11, 12/1 तथा 13/1 करने के हकदार है?
तनकी संख्या 7:– पक्षकारान किस सहायता के पात्र है?

उपरोक्त 7 तनकीयात में से तनकी संख्या 1 ता 4 जिम्मे वादी एवं तनकी संख्या 5 व 6 जिम्मे प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 कायम की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 5 का विवेचन प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 13 के पक्ष में करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 8 ता 13 का प्रतिवाद को स्वीकार करते हुए प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारी प्रदान किये है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित विधि सम्मत् तरीके से घोषित किया गया है अथवा नहीं? एवं अपीलांट्/वादी वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है अथवा नहीं?

इस संबंध में हमनें सर्वप्रथम वादग्रस्त भूमि के बाबत् विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के प्रतिवाद (काऊण्टर क्लेम) को प्रतिकुल कब्जे के आधार पर स्वीकार विधि सम्मत् तरीके से किया गया है अथवा नहीं? इस संबंध में विधिक अवधारणा को देखा जाना अपहरिहार्य हो जाता है। उपरोक्त तथ्य के संबंध में हमने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की वृहदपीठ द्वारा रेफरेन्स/टीए/2964/जयपुर/1997 में दिनांक 03–06–2011 को पारित निर्णय दिनांक का अवलोकन किया। वृहदपीठ द्वारा पारित उक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:–

Rajasthan Tenancy Act, 1955 – Sec- Limitation Act, 1963 – Article 64 & 65 – Reference – Khatedari rights whether can be conferred on the basis of adverse possession – Provisons of Limitation Act have limited applicability to matters relating to Tenancy Act – No provision to confer tenancy rights on the basis of the adverse possession & Courts can not confered the

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

tenancy rights – BOR has not legislative power to lay down a new law – No tenancy rights can be conferred on the basis of adverse possession.

Imp. Point :- No tenancy rights can be conferred on the basis of adverse possession.

इस प्रकार माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर की वृहदपीठ द्वारा उपरोक्त निर्णय के माध्यम से यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रतिकुल कब्जे (adverse possession) के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। विचारण न्यायालय द्वारा विधि की उपरोक्त स्पष्ट व्याख्या के विपरीत जाकर प्रतिवादीगण के काऊण्टर क्लेम को स्वीकार करते हुए आराजी जैर का खातेदार काश्तकार घोषित करने में विधिक त्रुटि कारित की गई है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण का प्रतिवाद (काऊण्टर क्लेम) अस्वीकार कर खारिज योग्य पाया जाता है।

प्रकरण में जहॉ तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शेष तनकीयात का विवेचन का प्रश्न है, इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं आक्षेपित निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शेष तनकीयात को पृथक से विवेचित नहीं किया है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्येक तनकी का पृथक–पृथक विवेचन किया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 का विवेचन भी विरोधाभाषी रूप से किया गया है। प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर विनिश्चय नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित अराजी को जहां एकतरफ विरासतन आधार पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का प्रथम दृष्टया हक निहित होना माना है। वहीं उनकी खातेदारी घोषणा को संधारणीय नहीं माना है। अतः तनकी संख्या 1 की विधिसंगत विवेचना नहीं की है। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2 की विवेचना तनकी संख्या 1 के आधार पर की है जबकि तनकी संख्या 2 पृथक, स्वतंत्र एवं वाद के निर्णयन हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण तनकी है। जिसका स्वतंत्र विवेचन आवश्यक था। जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया । इसी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकार शेष तनकीयात की भी अपूर्ण विवेचना के आधार पर निर्णय पारित किया गया है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 19–07–2024 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण सहायक कलेक्टर (शहर) को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रत्येक तनकी का तनकीवार पृथक से विवेचन करे एवं तनकी संख्या 2 का विस्तृत विवेचन पृथक से करते हुए वादपत्र पर पुनः निर्णय पारित करे।

8. निर्णय आज दिनांक 25-03-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

डिकरी ब सीगे अपील

(ऑ. 41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'G' 9)

अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम बीकानेर
बइजलास उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

रामेश्वर बनाम रामकंवरी आदि
अपील संख्या 60/2024

बनाराजगी निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर(शहर), बीकानेर
मुवर्खे 19-07-2024

यह अपील ब-तारीख 24-03-2025 रूबरू हमारी, बहाजरी श्री अभिभाषक अपीलांट्स श्री सत्यनारायण तिवाडी, अभिभाषक रेस्पोडेन्टस श्री सत्यपाल सिंह शेखावत, प्रहलाद जाखड, सत्यपाल सहू पेश होकर हुक्म हुआ। जिसके अनुसार अपीलांट्स की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर सहायक कलेक्टर, बीकानेर का निर्णय व डिक्री दिनांक 19-07-2024 खारिज किया गया।

(खर्चा अपील हाजा का हल्व तफ्सीस जेरे तादादी मुबलिग ....-.........) रूपयें अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ....-............. अदा करें।

बशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 24 माह मार्च सन् 2025 को जारी किया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

मुहर

हस्ताक्षर राजस्व अपील प्राधिकारी,
बीकानेर.
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू.	पै.	रेस्पोडेन्ट	रू.	पै.
1. स्टाम्प अपील........... 2. स्टाम्प वकालतनामा .... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत्			1. स्टाम्प वकालतनामा.............. 2. अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. मेहनताना वकील		
मीजान			मीजान		